



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार – 249404

पत्रांक : 36 / 08 / ई0-4 / जे0ई0(डी0आर0) / 2023-24

दिनांक : 17 मई, 2024

'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा-2023' के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) एवं कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) पद के सापेक्ष अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों की सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या : A-1/JE(DR)/E-4/2023-24 दिनांक 14 अक्टूबर, 2023 द्वारा विज्ञापित 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा-2023' के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु दिनांक 23, 24, 26 एवं 27 दिसम्बर, 2023 को सम्पन्न लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा का परिणाम विज्ञाप्ति संख्या : 02 / 01 / क0अ0 / गोपन-2 / 2023 / 24 दिनांक 23.02.2024 द्वारा घोषित किया गया है। उक्तांकित परीक्षा में अभिलेख सत्यापन हेतु औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक 13 मार्च, 2024 एवं 14 मार्च, 2024 तक परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में सम्पन्न कराया गया है।

02. अभिलेखों की सन्निरीक्षा के उपरान्त, प्रश्नगत पदों के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों में से अधोवर्णित अभ्यर्थियों को मा0 आयोग द्वारा प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः—

'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा-2023' अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)

क्र0सं0	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण
1	2	3	4
1	804373	AMIT KUMAR MISHRA	अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में Ex servicemen का दावा किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा स्थायी निवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। विज्ञापन के बिन्दु सं0-8 आरक्षण में उल्लिखित है कि "ऊधार्घर एवं श्रेतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा।" अतः अभ्यर्थी द्वारा स्थाई निवास प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अनर्ह।
2	808621	DEEPAK NEGI	अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में Ex servicemen का दावा किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 04.03.2024 को जारी किया गया स्थायी निवास प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया गया है। विज्ञापन के बिन्दु सं0-8 आरक्षण में उल्लिखित है कि "ऊधार्घर एवं श्रेतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा।" अतः अभ्यर्थी के पास विज्ञापन की अंतिम तिथि दिनांक 03.11.2023 के बाद का स्थाई निवास प्रमाणपत्र होने के कारण अनर्ह।
3	810448	AMIT RAWAT	अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में Ex servicemen का दावा किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा स्थायी निवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। विज्ञापन के बिन्दु सं0-8 आरक्षण में उल्लिखित है कि "ऊधार्घर एवं श्रेतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा।" अतः अभ्यर्थी द्वारा स्थाई निवास प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अनर्ह।
4	810926	PUNEET SINGH BISHT	अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में Ex servicemen का दावा किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 20.11.2023 को जारी किया गया स्थायी निवास प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया गया है। विज्ञापन के बिन्दु सं0-8 आरक्षण में उल्लिखित है कि "ऊधार्घर एवं श्रेतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा।"

			को ही अनुमन्य होगा।” अतः अभ्यर्थी के पास विज्ञापन की अंतिम तिथि दिनांक 03.11.2023 के बाद का स्थाई निवास प्रमाणपत्र होने के कारण अनर्ह।
5	802116	CHETAN JOSHI	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में समूह 'ग' की अर्हता के अन्तर्गत केवल Are you Permanent resident of Uttarakhand but residing outside Uttarakhand for Livelihood/education Purposes or Is your spouse or your Parents permanent residents of Uttarakhand but are residing outside Uttarakhand for Livelihood/education purposes का दावा किया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 02.03.2024 को जारी स्थाई निवास प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया गया है। अतः अभ्यर्थी विज्ञापन की अंतिम तिथि दिनांक 03.11.2023 तक समूह 'ग' की कोई भी अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह।
6	818732	DAISY	अभ्यर्थी द्वारा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के सापेक्ष दिनांक 28.02.2024 को जारी अंकतालिका उपलब्ध करायी गयी है, जो विज्ञापन की अंतिम तिथि दिनांक 03.11.2023 के बाद निर्गत की गयी है। अतः अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह।

कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)

क्र०सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण
1	2	3	4
1	803281	HIMANSHU DHOUNDIYAL	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा पूर्व सैनिक के आरक्षण का लाभ प्राप्त कर किसी सरकारी सेवा में सेवायोजित न होने संबंधी शपथपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अभ्यर्थी द्वारा उक्त के संबंध में स्वधोषणा उपलब्ध करायी गयी है। अतः अभ्यर्थी पूर्व सैनिक के आरक्षण का लाभ प्राप्त कर किसी सरकारी सेवा में सेवायोजित न होने संबंधी शपथपत्र वांछित है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में Ex servicemen का दावा किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 29.02.2024 को जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया गया है। विज्ञापन के बिन्दु सं०-८ आरक्षण में उल्लिखित है कि “ऊधार्घर एवं श्रैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा।” अतः अभ्यर्थी के पास विज्ञापन की अंतिम तिथि दिनांक 03.11.2023 के बाद का स्थाई निवास प्रमाणपत्र होने के कारण अनर्ह।</p>
2	811616	SUNIL CHAUDHARY	अभ्यर्थी द्वारा समूह 'ग' की अर्हता के अन्तर्गत Are you employed एवं Are you Permanent resident of Uttarakhand but residing outside Uttarakhand for livelihood/ education purpose का दावा किया गया है, परन्तु उक्त के संबंध में कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी समूह 'ग' की कोई अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह।
3	810139	ANKIT JAYARA	अभ्यर्थी द्वारा डिप्लोमा के स्थान पर बी०टेक० डिग्री संलग्न की गयी है। अतः अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह।
4	810151	MOHIT TOMAR	अभ्यर्थी द्वारा डिप्लोमा के स्थान पर बी०टेक० डिग्री संलग्न की गयी है। अतः अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह।

अतः प्रश्नगत पदों के सापेक्ष अनर्ह घोषित अभ्यर्थी अपनी अनर्हता के संबंध में पुष्ट साक्ष्यों के साथ प्रत्यावेदन **दिनांक 24 मई, 2024** (सांय 06:00 बजे) तक डाक अथवा अन्य किसी भी माध्यम से (कार्य दिवस—सोमवार से शुक्रवार) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार—249404 के कार्यालय में अथवा डाक अनुभाग के काउन्टर पर जमा करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी अपने अभिलेख/प्रमाण—पत्र अनुभाग की ई—मेल [आई०डी० soexamfour@gmail.com](mailto:soexamfour@gmail.com) पर उक्त निर्धारित तिथि तक प्रेषित कर सकते हैं। प्रत्यावेदन के साथ अपने दावों की पुष्टि हेतु अभिलेख/प्रमाण—पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है। उक्त अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।